95 888

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

3072
13/8/15

क्र. प.3(43)नविवि/3/2009पार्ट

जयपुर दिनांक 12 AUG 2015

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

(अ) प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मास्टर प्लान रोड, सेक्टर प्लान रोड, मुख्य सड़क, ग्रामीण सडक पर स्थित हो जिसका न्यूनतम मार्गाधिकार निम्न तालिका के अनुसार हो, पर स्थित हो :-

- (i) 2 हैक्टयर तक 12 मीटर
- (ii) 2 हैक्टयर से अधिक किन्तु 4 हैक्टयर तक 18 मीटर
- (iii) 4 हैक्टयर से अधिक किन्तु 20 हैक्टयर से कम 24 मीटर
- (iv) 20 हैक्टयर एवं अधिक 30 मीटर

(ब) प्रस्तावित स्थल यदि उपरोक्त तालिका में वांछित न्यूनतम पहुंच मार्ग हेतु मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क पर स्थित है, जो वर्तमान में विद्यमान नहीं है, तो 90ए उसी स्थिति में की जा सकेगी, यदि न्यूनतम वांछित पहुंच मार्ग अर्थात 12 मीटर चौड़ा बी.टी. रोड़ (पक्की सड़क) पर स्थित हो।

(स) यदि प्रस्तावित स्थल को विद्यमान न्यूनतम पहुच मार्ग 12 मीटर चौड़ा उपलब्ध नहीं है तो धारा 90क की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

12/8/15
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को उनके पत्र क्र. जाविप्रा/अति.मु.न.नि./बीसी (एलपी)/2015/डी–15 दिनांक 30.01.2015 के क्रम में।
7. सचिव, जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. रक्षित पत्रावली।

1/8/15
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

Copy be sent to all & me
18/8/15